भर्तियों पर सरकार से जवाब-तलब ▸ अभ्यर्थियों ने याचिका में पक्षपात का आरोप लगाया

# याचिका के अधीन रहेगी लिपिक भर्ती

जयपुर
jaipur@patrika.com

हाईकोर्ट ने सचिवालय में 289 लिपिकों की भर्ती के मामले में प्रमुख कार्मिक सचिव के जरिए राज्य सरकार व सहायक कार्मिक सचिव को नोटिस जारी करते हुए निर्देश दिया है कि भर्ती याचिका के निर्णय से प्रभावित रहेगी। कोर्ट ने सरकारी पक्ष को जवाब के लिए चार सप्ताह का समय दिया है।

न्यायाधीश मनीष भण्डारी ने भेरू राम गुर्जर व छह अन्य की याचिका पर यह अंतरिम आदेश दिया। प्रार्थीपक्ष के वकील सी.पी. शर्मा ने कोर्ट को बताया कि सहायक कार्मिक सचिव की ओर से 31 दिसम्बर 2010 को सचिवालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के 289 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए, इसके लिए शैक्षणिक योग्यता पांचवीं पास रखी गई, जिसके लिए एक लाख 43 हजार आवेदन आए।

## निरस्त करने की गुहार

भर्ती के लिए आठ अप्रेल से साक्षात्कार शुरू हुए। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि दस चरण में साक्षात्कार हुए। साक्षात्कार में नाम के अलावा कुछ नहीं पूछा गया। भर्ती में पक्षपात का आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ लोगों को दो बार साक्षात्कार के लिए बुला लिया गया, उन्हें पुनः साक्षात्कार के लिए बुलाने का कोई कारण भी नहीं बताया गया। याचिका में यह भी कहा गया कि केवल साक्षात्कार के जरिए चयन के मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले ही पूछे गए प्रश्नों को रिकॉर्ड रखने और वीडियोग्राफी कराने का निर्देश दे चुका है। ऐसे में चयन प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए। याचिका में चयन का आधार सार्वजनिक कराने का आग्रह किया और चयन प्रक्रिया को असंवैधानिक बताते हुए निरस्त करने की गुहार की।

## महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 104 पद खाली रखने के निर्देश

**हाईकोर्ट** ने महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता भर्ती में 104 पद खाली रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, सरकारी पक्ष के जवाब के लिए समय मांगने पर सुनवाई 25 जुलाई तक टाल दी है। न्यायाधीश आर.एस. चौहान व वीरेन्द्र सिंह सिराधना की खण्डपीठ ने अनुकुमारी व 103 अन्य की याचिका पर यह अंतरिम आदेश दिया। प्रार्थीपक्ष की ओर से वकील राजेन्द्र प्रसाद व संजीव सिंघल ने कोर्ट को बताया कि राजस्थान नर्सिंग कौंसिल में पंजीकरण नहीं होने पर उन्हें पात्र नहीं माना गया। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पद नर्सिंग कौंसिल के दायरे में नहीं आता है, यह पैरा-मेडिकल पद है।

## शिक्षा सहायक भर्ती में विद्यार्थी मित्रों से भेदभाव की शिकायत

**शिक्षा सहायक** भर्ती में विद्यार्थी मित्रों को आयु-सीमा में छूट नहीं देने के मामले में हाईकोर्ट ने प्रमुख शिक्षा सचिव और प्रारम्भिक शिक्षा निदेशक से जवाब मांगा है। न्यायाधीश मनीष भण्डारी ने उमाकांत शर्मा व अन्य की याचिका पर भर्ती को याचिका के अधीन रखने को कहा है।

प्रार्थीपक्ष के वकील महेन्द्र शर्मा ने कोर्ट को बताया कि प्रार्थी वर्ष 2008 से अलवर में विद्यार्थी मित्र के रूप में कार्यरत है। शिक्षा सहायक के लिए आयु-सीमा 18 से 35 वर्ष तय है। कोर्ट ने पहले हार्ड कॉपी जमा कराने व आयु में छूट के लिए अभ्यावेदन देने को कहा। इस पर शिक्षा निदेशक ने



प्रार्थना पत्र यह कहते हुए खारिज कर दिया कि कोर्ट ने आयु सीमा में छूट का लाभ पैराटीचर को दिया है। प्रार्थीपक्ष ने कहा कि शिक्षा निदेशक का निर्णय सही नहीं है, क्योंकि दोनों की नियुक्ति संविदा पर हुई और नियुक्ति के समय प्रार्थियों के लिए आयुसीमा का कोई प्रावधान नहीं था।